न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 16/2026

उम्मेद उम्र 63 साल पुत्र अमीलाल, जाति जाट, पूर्व सैनिक, ग्राम नाटास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.12.2025 न्यायालय नायब तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं बमुमकीन नम्बर 274/2025 तथा 338/225 अन्तर्गत धारा 91(6) भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थित :–

1. श्री किशोर कुमार, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 23.12.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि संक्षेप मे मुकदमे के तथ्य इस प्रकार है कि भू–अभिलेख निरीक्षक बडागांव एंव पटवारी हल्का नाटास के रिपोर्ट पर भूमि खसरा नम्बर 163, 164 रकबा 1.78, 2.84 हैक्टेयर मे से 1.3 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नदी पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना बताया जिसका नोटिस जारी किया गया। नोटिस शामिल मिसल किया गया। फसल काश्त को राजहक मे कुर्क कर नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बडागांव को लिखा गया। न्यायालय द्वारा आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नही आया। कोई जबाब पेश नही किया। कोई बचाव मे साक्ष्स सबूत पेश नही किया। तब मुकदमा नम्बर 90/24 निर्णय दिनांक 07.03.20244 मे अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। पुनः पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की अब की बार भूमि ख0नं0 163, 164 रकबा 1.78, 2.84 हैक्टेयर मे से 0.50 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नदी पर फसल खरीफ संवत् 2080 मे अतिक्रमण करना बताया। पुनः नोटिस दिया गया। 15 दिन मे कब्जा हटाने मे असफल रहने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया तथा 25 रूपये पेनेल्टी दिये जाने का आदेश दिया उक्त आदेश का पता चलने पर दिनांक 03.07.2025 को नकल के लिए आवेदन पत्र दिया तथा उस दिन नकल मिलने पर वकील से सम्पर्क किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी पर कोई नोटिस तामिल नही हुए था मौके पर प्रतिवादी का अतिकमण नही है। मनमर्जी से कभी 1.30 हैक्टेयर लिख दिया फिर 0.50 हैक्टेयर लिख दिया। सरासर गलत रिपोर्टो के आधार पर राजनीतिक दबाब से तथा ग्रामीण रंजिशवंश झूठा मुकदमा बन दिया जिसके श्रीमान् की अदालत मे अपील प्रस्तुत की गई जिस पर श्रीमान् की अदालत ने दिनाक 09.07.2025 को प्रार्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तत्पश्चात् दोनो पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी उम्मेद पुत्र अमीलाल की अपील पर दिनांक 25.08.2025 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी उम्मेद की ओर से श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी फसल के लिए दो माह का समय दिया जावे। दो माह मे फसल पकते ही वह फसल हटा लेगा तथा अतिक्रमण को हटाने के कभी भी अतिक्रमण नही करेगा। इसी दौरान ये महत्वपर्ण रहा कि इधर दिनांक 25.08.2025 को श्रीमान् की अदालत ने मुकदमा रिमाण्ड करते हुए दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस दिया जाकर सुनने का अवसर

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिया था। उसी दौरान पटवारी हल्का ने दिनांक 07.08.2025 को पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट बना दी जिसके नोटिस दिनांक 29.08.2025 को जारी किये गये। तत्पश्चात् एक शपथपूर्वक बयान दिनांक 05.11.2025 को लिया गया। अन्ततः दिनांक 23.12.2025 को पुनः वही फैसला दोहराते हुए प्रार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करते हुए पुनः फैसला कर दिया जिसकी अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वजुहात अपील निम्न प्रकार है कि निर्णय नायब तहसीलदार गुढागौडजी खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। मामले मे प्राकृतिक निर्णय के सिद्वान्त की अवहेलना की गई। ऑडीपार्टम के सिद्वान्त की पालना नही की गई है जबकि कानून यह कहता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2025 को फसल कुर्क कर दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि जब श्रीमान् के समक्ष पूर्व निर्णय की अपील जिसको श्रीमान् ने दिनांक 25.08.2025 को रिमाण्ड किया था उसकी सुनवाई मे लगे समय के दौरान जो उस समय फसल खडी थी तो दुबारा तुरन्त एक महीने मे ही फसल दुबारा थोडी उग जायेगी और फसल उग भी नही सकती तथा फसल काटकर हटाई भी नही जा सकती थी और जब फसल कुर्क कर ली और नीलाम कर दी गई तथा नीलामी मे बोली लगाने वालों को सुपुर्द कर दी गई तो पुनः अतिक्रमण का श्रीमान् के यहां अपील रहते हुए करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। इस प्रकार इसी दौरान नये नये दो मुकदमे बनाकर वादग्रस्त निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है जिसका उद्देश्य एकमात्र अपीलार्थी को जेल भेजने का रहा जिससे व्यथित होकर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। मामले मे पारित विवादित आदेश प्रथमदृष्टया ही चलने योग्य नही है क्योंकि विधि का सुनिश्चित सिद्वान्त है कि पक्षकार को सुनकर ही निर्णय किया जावे। लेकिन मामले मे प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय कर दिया। मामले मे पारित निर्णय चलने योग्य नही है। क्योकि विवादित आदेश दिनांक 27.06.2025 माईण्ड एप्लाई किये बिना, पत्रावली का अवलोकन किये बिना, किया था। पुनः उसी फसल के लिए तुरन्त दूसरा आदेश दिनांक 23.12.2025 को पारित कर दिया। इस प्रकार का आदेश न्यायिक विवेक को इस्तेमाल किये बिना ही अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि आदेश मात्र साईक्लोस्टाईल टाईप्ड है। आदेश कोपी पेस्ट किया गया है। इसमे रिक्त स्थानों की पूर्ति Fill in the blanks आदेश नजर आ रहा है जो एक लिपकीय कार्य है जिस पर केवल मात्र योग्य अदालत मातहत द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। ऐसी सूरत मे रेस एण्ड नेगलिजेटली पारित किया गया आदेश पारित करने योग्य नही है। पत्रावली पर अपीलार्थी की तामील होने का कोई सबूत मौजूद नही है। मनमर्जी से एकतरफा आदेश यह देखकर कि बरसात का समय है। काटली नदी आयेगी तो कोई अतिक्रमण है या नही है। क्योंकि नदी का कोई मापदण्ड नही है तथा वर्षो से काटली नदी मे कोई पानी नही आया। यहां तक कि लोगों ने मकानात् बना रखे है। काटली रिजोर्ट जैसे होटल इत्यादि बनाये है। लेकिन अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है। फसल के दिनों मे अपीलार्थी का लगता हुआ खेत मे गैर एक दो हल नदी की ओर चला भी दिये गये है तो वह किसी प्रकार के अतिक्रमण की तरफ नही आता है जिसके लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है। सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित करने से पहले तथा वारन्ट गिरफ्तारी जारी करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो एक शारीरिक स्वतंत्रता का सिद्वान्त है उसे ध्यान मे रखते हुए वास्तव मे नायब तहसीलदार गुढागौडजी को देखना चाहती थी। अपीलार्थी पर तामील हुआ है कि या नही या उसे किसी प्रकार भी सुना जावे। क्योंकि यह कोई आपराधिक कृत्य नही है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों मे पूरा सुनवाई का मौका देने के लिए निर्णय नायब तहसीलदार गुढागौडजी काबिले अपास्त है। आदेश अदालत मातहत इल्लिगल परवर्स केप्रिसियस आर्बीट्रेरी एवं विदाउट ज्यूरिक्डीक्शन होने से काबिले अपास्त है। अतः अपील अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी दिनांक 23.12.2025 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी क विरूद्व कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे तथा न्यायालय उचित समझे तो पुनः सुनवाई हेतु तथा पुनः विधिवत् प्रार्थी की मौजूदगी मे रिपोर्ट मंगवाई जाकर मामला रिमाण्ड किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि निर्णय नायब तहसीलदार गुढागौडजी खिलाफ कानून

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

एवं पत्रावली है। मामले मे प्राकृतिक निर्णय के सिद्वान्त की अवहेलना की गई। ऑडीपार्टम के सिद्वान्त की पालना नही की गई है जबकि कानून यह कहता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2025 को फसल कुर्क कर दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि जब श्रीमान् के समक्ष पूर्व निर्णय की अपील जिसको श्रीमान् ने दिनांक 25.08.2025 को रिमाण्ड किया था उसकी सुनवाई मे लगे समय के दौरान जो उस समय फसल खडी थी तो दुबारा तुरन्त एक महीने मे ही फसल दुबारा थोडी उग जायेगी और फसल उग भी नही सकती तथा फसल काटकर हटाई भी नही जा सकती थी और जब फसल कुर्क कर ली और नीलाम कर दी गई तथा नीलामी मे बोली लगाने वालों को सुपुर्द कर दी गई तो पुनः अतिक्रमण का श्रीमान् के यहां अपील रहते हुए करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। इस प्रकार इसी दौरान नये नये दो मुकदमे बनाकर वादग्रस्त निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है जिसका उद्देश्य एकमात्र अपीलार्थी को जेल भेजने का रहा जिससे व्यथित होकर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। मामले मे पारित विवादित आदेश प्रथमदृष्टया ही चलने योग्य नही है क्योंकि विधि का सुनिश्चित सिद्वान्त है कि पक्षकार को सुनकर ही निर्णय किया जावे। लेकिन मामले मे प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय कर दिया। मामले मे पारित निर्णय चलने योग्य नही है। क्योकि विवादित आदेश दिनांक 27.06.2025 माईण्ड एप्लाई किये बिना, पत्रावली का अवलोकन किये बिना, किया था। पुनः उसी फसल के लिए तुरन्त दूसरा आदेश दिनांक 23.12.2025 को पारित कर दिया। इस प्रकार का आदेश न्यायिक विवेक को इस्तेमाल किये बिना ही अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि आदेश मात्र साईक्लोस्टाईल टाईप्ड है। आदेश कोपी पेस्ट किया गया है। इसमे रिक्त स्थानों की पूर्ति Fill in the blanks आदेश नजर आ रहा है जो एक लिपकीय कार्य है जिस पर केवल मात्र योग्य अदालत मातहत द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। ऐसी सूरत मे रेस एण्ड नेगलिजेटली पारित किया गया आदेश पारित करने योग्य नही है। पत्रावली पर अपीलार्थी की तामील होने का कोई सबूत मौजूद नही है। मनमर्जी से एकतरफा आदेश यह देखकर कि बरसात का समय है। काटली नदी आयेगी तो कोई अतिक्रमण है या नही है। क्योंकि नदी का कोई मापदण्ड नही है तथा वर्षो से काटली नदी मे कोई पानी नही आया। यहां तक कि लोगों ने मकानात् बना रखे है। काटली रिजोर्ट जैसे होटल इत्यादि बनाये है। लेकिन अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है। फसल के दिनों मे अपीलार्थी का लगता हुआ खेत मे गैर एक दो हल नदी की ओर चला भी दिये गये है तो वह किसी प्रकार के अतिक्रमण की तरफ नही आता है जिसके लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है। सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित करने से पहले तथा वारन्ट गिरफ्तारी जारी करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो एक शारीरिक स्वतंत्रता का सिद्वान्त है उसे ध्यान मे रखते हुए वास्तव मे नायब तहसीलदार गुढागौडजी को देखना चाहती थी। अपीलार्थी पर तामील हुआ है कि या नही या उसे किसी प्रकार भी सुना जावे। क्योंकि यह कोई आपराधिक कृत्य नही है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों मे पूरा सुनवाई का मौका देने के लिए निर्णय नायब तहसीलदार गुढागौडजी काबिले अपास्त है। आदेश अदालत मातहत इल्लिगल परवर्स केप्रिसियस आर्बीट्रेरी एवं विदाउट ज्यूरिक्डीक्शन होने से काबिले अपास्त है। जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा कश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अतः अपीलार्थी की अपील फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी दिनांक 23.12.2025 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी क विरूद्व कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे तथा न्यायालय उचित समझे तो पुनः सुनवाई हेतु तथा पुनः विधिवत् प्रार्थी की मौजूदगी मे रिपोर्ट मंगवाई जाकर मामला रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम नाटास स्थित आराजी हाल खसरा नं0 163 रकबा 1.78 है0, ख0नं0 164 रकबा 2.84 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में से 1.00 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित आराजी हाल खसरा नं0 163 रकबा 1.78 है0, ख0नं0 164 रकबा 2.84 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में से 1.00 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी पेश करने को तैयार है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है या नही हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं